भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

डीबीआर.सं.डीईए.निधि कक्ष.130.01.002/2018-19 27 अगस्त 2018

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी बैंक

महोदय/महोदया,

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि योजना, 2014 – समाधान(रेकन्सिलीऐशन) प्रमाणपत्र (फॉर्म III) प्रस्तुत करने की संशोधित समय-सीमा

कृपया दिनांक 27 सितंबर, 2017 के हमारे पत्र डीबीआर संख्या डीईए फंड कक्ष 3044/30.01.002/2017-18 द्वारा जारी प्रतिवर्ष जून और दिसंबर की समाप्ति में समाधान प्रमाणपत्र (फॉर्म III) जमा करने के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश, मूल विशेषताएं (अनुबंध I) का पैराग्राफ 3 देखें।

2. समीक्षा में यह निर्णय लिया गया है कि बैंक प्रतिवर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित समाधान (रेकन्सिलीऐशन) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे, **जो डीईए निधि के परिचालन में शामिल अधिकारियों के अतिरिक्त होंगे** अर्थात दावा न की गई जमाराशियों के अंतरण और धन वापसी के दावों में शामिल। बैंक के समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिए, जो बैंक के प्रधान खाताबही में दर्शाए गए शेष राशि और भारिबैं द्वारा रखे गए डीईए निधि खाते में दर्शाई गई राशि के बीच करार को प्रमाणित करते हैं।यह प्रमाणपत्र पीडीएफ फार्मेट में dboddeafcell@rbi.org.in पर भेजा जाना चाहिए और इसकी हार्डकॉपी मूल रूप में डीईए निधि कक्ष, बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंजिल, मुंबई में क्रमशः 30 अप्रैल और 31 अक्तूबर तक पहुंच जानी चाहिए। जिन बैंकों से समाधान (रेकन्सिलीऐशन) प्रमाणपत्र नियत तारीख तक प्राप्त नहीं होगा, उनके दावों का निपटान समाधान प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक रोक दिया जाएगा।

बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं और 13वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400001
टेलीफोन/Tel No: 022- 22700773 फैक्स/Fax No: 022-227000773
Department of Banking Regulation, Central Office, 12th and 13th Floor, Central Office Bhavan, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai – 400001

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

3. समाधान(रेकन्सिलीऐशन) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की संशोधित समयसीमा सितंबर 2018 से प्रभावी होगी। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2018 के लिए बैंक दो समाधान(रेकन्सिलीऐशन) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे, अर्थात जून 2018 और सितंबर 2018 हेतु।

4. डीईए निधि शेष के समाधान(रेकन्सिलीऐशन) में किसी भी प्रकार की विसंगति से बचने के लिए, बैंक को अपने खातों में लेनदेन को वास्तविक आधार पर रिकार्ड करना होगा अर्थात भारिबैं द्वारा बनाए गए डीईए निधि से/को दावे/प्रेषण के निपटान से उपरांत।

5. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वह उपरोक्त अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुवर्तन करें। उपरोक्त अनुदेशों का अनुपालन करने में उनकी ओर से किसी भी तरह की विफलता को आरबीआई द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।

भवदीय,

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक